रजिस्ट्री सं० डी० (डी० एल०)-72 REGISTERED NO. D. (DN)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 55] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 3, 1984/वैशाख 13, 1906
No. 55] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 3, 1984/VAISAKHA 13, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1984

सार्वजनिक सूचना सं० 23-आईटीसी (पीएन)/84

विषय : अप्रैल 1984-मार्च 1985 के लिए आयात एवं निर्यात नीति,

[फि० सं० 1/24/पी/आरईपी/74-ई पी सी (वोल्यूम II)]-वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 19-आईटीसी (पीएन)/84, दिनांक 12 अप्रैल, 1984 के अंतर्गत प्रकाशित तथा संशोधित अप्रैल, 1984-मार्च, 1985 की आयात एवं निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. निम्नलिखित शुद्धियां नीति में नीचे संकेतित उचित स्थानों पर की गयी समझी जायेंगी :—

क्रम सं०	आयात एवं निर्यात नीति 1984-85 (खिलंड-1) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	शुद्धि
1	2	3	4
1	320	परिशिष्ट-22 अनुबंध-1 विदेशी खिलेता द्वारा संभारित सोने के बदले स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के लिए योजना कंडिका-6	10वीं और 14वीं पंक्ति में "83 रुपए" की धनराशि को "83.33 रुपए" पढ़ा जाएगा ।
2	323	परिशिष्ट-22 अनुबंध-2 1984-85 के दौरान हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निर्यात निगम द्वारा आयोजित अनुमोदन नुमायशों में बिक्री के लिए स्वर्ण जेवरात और वस्तुओं के निर्यात के लिए योजना पैरा 6	आठवीं और 12वीं पंक्ति में "83 रुपए" की धनराशि को "83.33 रुपए" पढ़ा जाएगा ।

प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

New Delhi, the 3rd May, 1984.

Public Notice No. 23-ITC(PN)/84

Subject: Import & Export Policy for April 1984 - March, 1985

F. No. 1/24/P/REP/74.—EPC(Vol. II).—Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1984-March 1985, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 18-ITC(PN)/84 dated the 12th April, 1984, as amended.

2. The following corrections shall be deemed to have been made in the policy at appropriate places indicated below:—

S.No.	Page No. of Import & Export Policy, 1984-85 (Vol. I)	Reference	Errata
1	2	3	4
1.	320	Appendix 22 Annexure I Scheme for export of Gold Jewellery against gold supplied by the foreign buyer. Para 6.	In the 10th and 14th line, the amount "Rs. 83" shall read "Rs. 83.33".
2.	323	Appendix 22 Annexure II Scheme for export of Gold Ornaments and Articles for sale at approved exhibitions to be organised by HHEC during 1984-85. Para 6.	In the 8th and 12th line, the amount "Rs. 83" shall read "Rs. 83.33".

P.C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984